Note # 15

मुख्य विकास अधिकारी, महोदय

कृपया पताका **"क"** पर मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-5/53 4/2025-5/46/2021-SBM-G-2 लखनऊ दिनांक 06 जून, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), फेज-2 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट (PWMU) निर्माण हेतु जनपद अयोध्या का लक्ष्य-03 निर्धारित करते हुए संलग्न मॉडल प्राक्कलन एवं डिजाईन के अनुसार कार्य कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

तत्क्रम में जिला स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 27.06.2025 के बिन्दु संख्या-10 में लिये गये निर्णय के क्रम में विकास खण्ड मिल्कीपुर की ग्राम पंचायत पारा ब्रम्हनान, विकास खण्ड बीकापुर की ग्राम पंचायत मजरूददीनपुर एवं विकास खण्ड मयाबाजार की ग्राम पंचायत छतरा का चयन करते हुए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अयोध्या को स्थलीय निरीक्षण करते हुए भूमि उपयोगिता के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात जिला स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 24.07.2025 के बिन्दु संख्या-05 में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अयोध्या एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत के भूमि प्रबंधन समिति का प्रस्ताव के आधार पर लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट (PWMU) आवंटन/निर्माण कार्य कराये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-1879 दिनांक 18.08.2025 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट (PWMU) निर्माण हेतु उपरोक्त ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित धनराशि हेतु मांग.पत्र शासन स्तर पर प्रेषित किया गया।

तत्क्रम में सादर अवगत कराना है कि मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या–I/ 306941/2025 दिनांक 10.10.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत एस०एन०ए० स्पर्श की निर्धारित चाईल्ड लिमिट में अवशेष एस०एल०डब्ल्यू०एम० मद में मु0-3000000.00 रू० एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र पी०डब्ल्यू०एम०, मद में मु0-1200000.00 रू०, इस प्रकार कुल मु0-4200000.00 रू० धनराशि को वापस किये जाने के निर्देश दिये गये है (पताका "ग"), जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 11.10.2025 द्वारा मु0-3000000.00 रू० की क्रेडिट लिमिट शासन द्वारा वापस ले लिया गया। साथ ही अवगत कराना है कि अवशेष मु0-1200000.00 रू० में से जनपद स्तर पर मु0-781073.00 रू० जनपद स्तर पर उपलब्ध है। अतः जनपद पर उपलब्ध कुल मु0-781073.00 (सात लाख इक्कायसी हजार तिहत्तर रू० मात्र) की धनराशि जनपद के चेकर आई०डी० से अप्रूव्ड किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तावित है, जिससे निम्न ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट (PWMU) निर्माण हेतु निम्न ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नवतः है,.

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद द्वारा मांग की गयी धनराशि	आवंटन हेतु प्राप्त एवं प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अयोध्या	मिल्कीपुर	पारा ब्रम्हनान	1600000.00	400000.00
2	अयोध्या	बीकापुर	मजरूददीनपुर	1600000.00	381073.00
कुल योग				3200000.00	781073.00

उपरोक्तानुसार जनपद अयोध्या के उपरोक्त विकास खण्ड मिल्कीपुर की ग्राम पंचायत पारा ब्रम्हनान में मु0-400000.00 रू0 एवं विकास खण्ड बीकापुर की ग्राम पंचायत मजरूददीनपुर में मु0-381073.00 रू0, इस प्रकार कुल मु0-781073.00 (सात लाख इक्कायसी हजार तिहत्तर रू0 मात्र) रू0 की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आवंटित किया जाना प्रस्तावित है:-

1. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत दी जा रही है। स्वीकृति धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

2. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट निर्माण हेतु धनराशि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

04/11/2025 05:03 PM

VIVEK SRIVASTAVA
JUNIOR ASSISTANT

Note # 16

04/11/2025 05:04 PM

AVINASH KUMAR
DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER(DPRO)
Digitally Signed

Note # 17

10/11/2025 12:38 AM

KRISHAN KUMAR SINGH
CHIEF DEVELOPMENT OFFICER
Digitally Signed

Note # 18

Approved

11/11/2025 12:27 AM

NIKHIL TIKARAM FUNDE
DM AYODHYA
Digitally Signed

Note # 19

11/11/2025 12:30 AM

KRISHAN KUMAR SINGH
CHIEF DEVELOPMENT OFFICER